संख्या– 341 /XVI(1)/11/11(2)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः 1 **देहरादूनः दिनांक 14 मार्च,2011**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में विधान सभा क्षेत्र थलीसैंण के अन्तर्गत त्रिपालीसैंण में आलू संग्रहण केन्द्र की स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–881/उ0त0/मा0मुख्यमंत्री घोषणा/2010 दिनांक–16–03–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि मा0मुख्यमंत्री जी की **घोषणा संख्या–27/2010–"त्रिपालीसैंण मे आलू संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जायेगी"** के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–698/XVI(1)/10/11(2)/10, दिनांक–20 जुलाई,2010 के द्वारा रू0–5.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–75/XVI(1)/11/7(2)/10, दिनांक–24.01.2011 के द्वारा 2.50 लाख अर्थात अभी तक कुल रू0 7.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त घोषणा को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि रू0–16.26 लाख (रूपये सोलह लाख छब्बीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार प्रदत्त निर्देशों,निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण किसी प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

क्रमशः––2

8– जी0पी0डब्लू–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत के दस प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2047/XIV-219/2006, दिनांक– 30मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– आगणन गठित करते समय तथा कार्य कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

12– उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खंण्ड,लोक निर्माण विभाग,पौड़ी को ड्राफ्ट/चैक द्वारा अथवा नियमानुसार प्रचलित प्रकियानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–29 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत– 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–01–अधिष्ठान के उप मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–306(P)/XXVII–4/2011, दिनांक– 05 मार्च ,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 341 /XVI(1)/10/11(2)/10, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग,माजरा,देहरादून।
2–आयुक्त,गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
3–अपर सचिव,मा0मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग)उत्तराखण्ड शासन।
4–जिलाधिकारी,पौड़ी।
5–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,पौड़ी/कोषाधिकारी,रानीखेत,उत्तराखण्ड।
6–वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7–अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,पौड़ी।
8–जिला उद्यान अधिकारी,पौड़ी।
9–बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,देहरादून।
10–निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।